कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 285/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 21.07.2026

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

₹50,000 के इनामी एवं दोहरे हत्याकांड के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार

थाना पवई क्षेत्रान्तर्गत दादा एवं चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस, आलाकत्ल कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल व नकदी बरामद

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 09/10 जुलाई, 2026 की रात्रि में थाना पवई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हेवती में पारिवारिक रंजिश एवं पैतृक सम्पत्ति के विवाद को लेकर एक जघन्य दोहरे हत्याकाण्ड की घटना कारित की गई थी। अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व. सूर्यलाल उर्फ सनातन दास निवासी ग्राम ताराखुर्द थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर ने अपने सगे दादा जगदम्बा प्रसाद एवं चचेरे भाई श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की धारदार कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 172/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस टीमों का गठन का अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। घटना के बाद अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा ₹50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को थानाध्यक्ष पवई मनीष पाल अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दोहरे हत्याकाण्ड का वांछित एवं ₹50,000 का इनामी अभियुक्त संतोष यादव मोटरसाइकिल से ओरिल की तरफ से ग्राम हेवती की ओर आने वाला है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा हेवती-ओरिल मार्ग पर रसूलाबाद मोड़ के पास घेराबंदी की गई। कुछ देर बाद संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत दिए जाने पर अभियुक्त मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा, किन्तु वर्षा के कारण उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। अपने को पुलिस से घिरा देखकर अभियुक्त ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम ने सिखलाये गये तरीके से आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी। इसके उपरान्त अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई भेजकर उपचार कराया गया। घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी गई तथा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पैतृक भूमि के बंटवारे एवं आर्थिक लेन-देन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण उसने दिनांक 09/10 जुलाई, 2026 की रात्रि में अपने दादा जगदम्बा प्रसाद एवं चचेरे भाई श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। घटना के उपरान्त वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदलकर रह रहा था। अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के संबंध में भी जानकारी दी, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया।

बरामदगी का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे एवं घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद हुईं—

* एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
* एक अदद जीवित कारतूस .315 बोर।
* तीन अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
* एक अदद धारदार कुल्हाड़ी (आलाकत्ल)।
* एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर (काला रंग) संख्या UP45W7734।
* अभियुक्त की जामा तलाशी से ₹600/- नगद।

अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष यादव पुत्र स्व. सूर्यलाल उर्फ सनातन दास, निवासी : ग्राम ताराखुर्द, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र : लगभग 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 172/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रथम टीम-

मनीष पाल, थानाध्यक्ष, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
गोपाल जी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
का0 जमीदार विश्वकर्मा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
का0 राकेश गौड़, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 अभिनन्दन, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 अनुपम यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

द्वितीय टीम-

उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
का0 अनिल कुमार यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
का0 अमित पाल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 दीपक सिंह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 रोहन, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।